

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 11-15/2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों एवं विधि द्वारा स्थापित आयोगों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को देय सुविधाएं ।

संदर्भ- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक एफ 11-36/2003/नियम/चार, दिनांक 4-2-2006, परिपत्र क्रमांक एफ 12-2/2007/नियम/चार, दिनांक 20-4-2007 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-15/2010/नियम/चार, दिनांक 10-8-2011.

\*\*\*


सन्दर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अशासकीय पदाधिकारियों एवं विधि द्वारा स्थापित आयोगों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को देय सुविधाओं का निर्धारण किया गया है ।

2/ परिपत्र दिनांक 10-8-11 के पैरा-2 की कंडिका-1 में मानदेय एवं सत्कार भत्ता की वर्तमान दरों को संशोधित करते हुये नई दरें निर्धारित कर अध्यक्षों के मानदेय एवं सत्कार भत्ता समेकित कर ₹13000/- तथा उपाध्यक्षों/सदस्यों का मानदेय एवं सत्कार भत्ता समेकित कर ₹10000/- स्वीकृत किया गया है ।

3/ उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 10-8-2011 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष के मानदेय की पुनरीक्षित दर ₹13000/- प्रतिमाह के अध्यक्षीन सत्कार भत्ता ₹7000/- तथा मानदेय ₹6000/- एवं इसी प्रकार उपाध्यक्ष/सदस्य के पुनरीक्षित दर ₹10000/- में सत्कार भत्ता ₹5500/- तथा मानदेय ₹4500/- प्रतिमाह निर्धारित की जाती है । ऐसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है, की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा ।

4/ संदर्भित ज्ञापनो में दर्शित शेष सुविधाएं/दरें तथा स्वीकृति की शर्तें पूर्ववत रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस.एन.मिश्रा)

सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-15/2010/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी, 2012

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
( डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग